अनुसूची–14 फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

आपूर्ति अपील वाद संख्या–16/2017–18

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– ..... से ..... तक
जिला :– मुजफ्फरपुर ..... सन्
केस का प्रकार–

सुरेन्द्र सिंह बनाम सरकार

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रस्तुत वाद सुरेन्द्र सिंह, पे0 स्व0 राम पुनीत सिंह, साकिन झिकटी, थाना कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत किनारू, प्रखंड कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक–396/आ0, दिनांक–30.03.2017 के विरूद्ध दाखिल अपील आवेदन दिनांक 22.04.2017 के आलोक में आरंभ किया गया। उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 07.01.2019 को की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक सुनवाई के क्रम में बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 1228/आ0, दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 18302/2015 सुरेन्द्र सिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 में अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया गया कि आवेदक को द्वितीय जाँच की प्रति दी जाए एवं तीन माह के अंदर सुनवाई करके विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाए। अपीलार्थी को द्वितीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराए बिना अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 396/आ0, दिनांक 30.03.2017 के द्वारा आदेश पारित करके उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द ही रखा गया। पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 16814/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2018 के द्वारा तीन माह के अंदर समाहर्त्ता न्यायालय, मुजफ्फरपुर में विचाराधीन आपूर्ति अपील वाद संख्या 16/2017–18 के निष्पादन का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। इसे विखंडित करते हुए उनके अपील आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश दिया जाए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि संयुक्त जाँच दल के द्वारा विभिन्न गाँवों के 37 उपभोक्ताओं से संपर्क किया गया जिनमें से 22 उपभोक्ताओं के द्वारा अपीलार्थी के वितरण व्यवस्था से संतुष्टि प्रकट की गई। जिन पन्द्रह उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत किए जाने का आरोप कारण–पृच्छा में लगाया गया, उनमें से 11 उपभोक्ताओं के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपीलार्थी से कोई शिकायत नहीं होने का बयान दिया गया है। शेष	

चार उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गई कि 15 मार्च एवं 15 अप्रैल के आवंटन के विरूद्ध उन्हें अनाज नहीं दिया गया। इस संबंध में कहना है कि सतीश सिंह राशन लेने के लिए नहीं आए। उनका अपीलार्थी से कुछ सरकारी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायत की वजह से उनके विरूद्ध शिकायत की गई। इसी प्रकार अन्य तीन भी राशन लेने नहीं आए एवं अपीलार्थी से गवई राजनीति की वजह से वैमनस्य के कारण उनके विरूद्ध झूठा आरोप लगाए। इस तरह अपीलार्थी पूरी तरह निर्दोष है एवं उनके द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधान के आलोक में सरकारी अनुदानित सामग्री का ससमय उठाव एवं वितरण निर्धारित मात्रा में निर्धारित दर पर किया जाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रासंगिक आदेश को निरस्त करते हुए उनके अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्धारित समय–सीमा के अंदर विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करने का आदेश दिया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद सभी कागजात के परिशीलन के उपरांत, अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के प्रासंगिक आदेश (ज्ञापांक 396/आ0, दिनांक 30.03.2017) को **Set aside** करते हुए इस निर्देश के साथ यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर को रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 18302/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 में अंकित निर्देशों का शत–प्रतिशत अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपीलार्थी को वांछित कागजात की प्रति उपलब्ध कराई जाए, सुनवाई की जाए एवं शीघ्र अतिशीघ्र विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाए।

इस आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाए। साथ ही, आदेश की प्रति इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी
JAN 2019
जिला विधि प्रशाखा

प्रतिलिपि – SDO West, मुज0 / DSO, NIC, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित
ज्ञापांक 102 / दिनांक 29/1/19

10